तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिनांक 10-5-2018 पत्रावली नियत कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 केम्प कोर्ट बेंच में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों को लोक अदालत से जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। प्रार्थी पक्ष वावजूद तारीख पेशी की सूचना के अनुप.। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार वाली ने उपस्थित होकर प्रा.पत्र धारा 136 LR Act का पैरावाइज जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थी या प्रार्थी के पिता के नाम कभी भी अरसरत आराजी खातेदारी अथवा गैर खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं होना तथा आराजी सिवायचक दर्ज है। अप्रार्थी विभाग द्वारा मौके पर कब्जा नहीं होने से सिवायचक दर्ज की गई। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने अपने पिता नारायणसहाय मंगामी सरदारा नि. विरोलिया को विरोलिया के पुराने खसरा नंबर 170/5 मीन में दिनांक 16-5-1976 को आवंटित 10 बीघा और से बने हाल खसरा नंबर 296 रकबा 1.60 हैक्टर की दुरुस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज कराने की मांग की गई है। धारा 136 RLR Act, 1956 के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि को दोनों पक्षों के सहमत होने पर

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

उपखण्ड अधिकारी दुरुस्ती के आदेश दे सकता है। परन्तु उक्त प्रकरण में यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी बिरोलिया के पुराने खसरा नंबर 170/5 मीन में 10 बीघा आराजी वादी के पिता ताराचन्द पुत्र मंशाराम को आवंटन जरूर हुई, परन्तु उसका अमल दरामद नहीं हुआ। बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौका स्थिति अनुसार पुनः सिवाय चक दर्ज कर दी गई। जो आज दिनांक तक सिवायचक दर्ज है। प्रस्तुत तथ्यों से यह भी जाहिर है कि मूल आवंटी ताराचन्द का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थी ने बतौर वारिस उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का न तो आवंटी है तथा न ही मौके पर काबिज है तथा न ही प्रकरण में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि की गई है। जिससे प्रार्थी सतीश कुमार आवंटन के 31-32 वर्ष पश्चात उक्त इन्द्राज दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा गांव ~~[illegible]~~ बिरोलिया स्थित आराजी गत खसरा नंबर 170/5 मीन में आवंटित 10 बीघा आराजी के बदले हाल खसरा नंबर 256 रकबा 20-66 हेक्टर मेंसे 1.60 हेक्टर आराजी के संबंध में प्रस्तुत धारा 136 LRAct का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

[signature]

Scanned by CamScanner